(347)

संख्या – /XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2011–12

प्रेषक,

डी0पी0 गैरोला;
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव/आहरण–वितरण अधिकारी,
राज्य विधि आयोग,
देहरादून।

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, (विधायी प्रकोष्ठ) देहरादूनः दिनॉकः 26 दिसम्बर, 2011

विषय– 42 अन्य व्यय मद मे व्यावर्तित करते हुए धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध मे।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग हेतु 42–अन्य व्यय मद मे अतिरिक्त रूप से ₹ 5.00 लाख मात्र (₹ पॉच लाख मात्र) की धनराशि की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते राज्य विधि आयोग के लिए शासनादेश संख्या 286/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2011 दिनॉक 13 मई, 2011 द्वारा राज्य आकस्मिकता निधि से विभिन्न मानक मदों में स्वीकृत की गयी धनराशि के आधार पर मानक मद 27–चिकित्सा प्रतिपूर्ति से ₹ 2.00 लाख मात्र (₹ दो लाख मात्र) तथा 29–अनुरक्षण मद स ₹ 3.00 लाख मात्र (₹ तीन लाख मात्र) कुल ₹ 5.00 लाख मात्र (₹ पॉच लाख मात्र) की धनराशि 42–अन्य व्यय मद मे व्यावर्तित करते हुए निम्न शर्त के साथ स्वीकृत करते हुए व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :––

02 संगत मद की धनराशि का व्यय स्वीकृत बजट की सीमाओं में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

03 उक्त धनराशि का उपयोग उसी निमित्त किया जाय, जिस प्रयोजन से इसे स्वीकृति दी गई है।

04. व्यय उसी मद में किया जाय, जिसमें यह स्वीकृत किया जा रहा है।

05. धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा सर्वप्रथम पुराने देयकों का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। अतिरिक्त की प्रत्याशा मे स्वीकृत बजट की सीमा से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

06. जिन मामलों में बजट मैनुवल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी

स्वीकृतियां अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा वित्त विभाग के शासनादेशों का अनुपालन भी किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

07. इसके अतिरिक्त शासनादेश संख्या 209/XXVII(1)/2011 दिनॉक 31.03.2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

08. उक्त पर होने वाले व्यय प्रथमतः 8000–राज्य आकस्मिकता निधि–201–समेकित निधि से विनियोजित तथा अन्ततः चालू वित्तीय वर्ष 2011–2012 के आय–व्ययक अनुदान संख्या 07, ले0शी0–2052–सचिवालय सामान्य सेवायें–00–आयोजनेत्तर–090–सचिवालय–15–राज्य विधि आयोग का गठन के अर्न्तगत 42–अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

09. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 185 NP/XXVII(5)/2011 दिनॉक 21 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।

संख्या – 417/XXXVI(3)/विधायी प्रकोष्ठ/2010/दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
02. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य विधि आयोग, देहरादून।
03. केन्द्रीय भुगतान एवं लेखा कार्यालय, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
04. वित्त अनुभाग 5 उत्तराखण्ड शासन।
05. निदेशक, लेखा एवं हकदारी (डाटा सेन्टर) लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
06. वित्त अधिकारी, साइबर ट्रेजरी, देहरादून।
07. एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर देहरादून।
08. विभागीय आदेश पुस्तिका।

(डी0पी0 गैरोला)
प्रमुख सचिव।